भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1162

28.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

कोलंबो प्रोसेस

1162. श्री संजय सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोलंबो प्रोसेस से एकत्रित आंकड़ों की रिपोर्ट क्या है; और

(ख) भारत के फायदे के लिए किस तरह से इन आंकड़ों के उपयोग की योजना है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) और (ख) कोलंबो प्रोसेस एशिया के 12 सदस्य देशों (प्रवासी कामगारों के मूल देश) का क्षेत्रीय परामर्शदात्री प्रोसेस है जो व्यापक रूप से प्रवासी रोजगार और संविदागत श्रमिकों के प्रबंधन पर सर्वोत्तम परिपाटी के आदान-प्रदान के लिए फोरम के रूप में कार्य करता है। यह प्रोसेस स्वैच्छिक और अबाध्यकारी प्रकृति का है। यह मंत्री स्तरीय परामर्शों द्वारा अभिशासित होता है, जिनमें अनुशंसाओं और कार्य योजनाओं पर प्रतिभागी सदस्य राष्ट्रों के मंत्रियों द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है और इन्हें अंगीकार किया जाता है। अब तक कोलंबो (2003), मनीला (2004), बाली (2005), ढाका (2011), कोलम्बो (2016) और काठमांडु (2018) में छः मंत्री स्तरीय परामर्श आयोजित हो चुके हैं। विषय क्षेत्र संबंधी पांच कार्य समूह (टीएडब्ल्यूजी) हैं अर्थात (i) दक्षता एवं अर्हता मान्यता (ii) विधिवत नियोजन को प्रोत्साहन; (iii) प्रस्थान-पूर्व अनुकूलन और सशक्तिकरण; (iv) धनप्रेषण और (v) श्रमिक बाजार विश्लेषण।

विषय क्षेत्र संबंधी विभिन्न कार्य समूहों (टीएडब्ल्यूजी) के तत्वाधान में आयोजित किए जाने वाले मंत्री स्तरीय परामर्शों, वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठकों और अन्य बैठकों, परिसंवादों, कार्यशालाओं में मंत्रालय सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। भारतीय उत्प्रवासी कामगारों के कल्याण एवं संरक्षण के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों को सर्वोत्तम परिपाटी के रूप में इस फोरम में नियमित तौर पर बताया जाता रहा है। मंत्रालय ने कोलम्बो प्रोसेस के सदस्य देशों के प्रवासी कामगारों को सामाजिक रूप से संरक्षण के उपबंध की कार्यान्वयन स्थिति; कोलंबो प्रोसेस सदस्य देशों में भर्ती एजेंसियों के मौजूदा रेटिंग तंत्र में मानचित्रण, कोलम्बो प्रोसेस

सदस्य देशों के धनप्रेषण नियामक ढांचे का प्रेषण और नियमित प्रेषण चैनलों की सुलभता इत्यादि के संबंध में विभिन्न टीएडब्ल्यूजी के तत्वाधान में आरंभ किए गए विभिन्न अध्ययनों में भी योगदान दिया है।

***